

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 75 /2020

दिनांक : 15.05.2020

श्रीमती वैदेही सिंह चौहान (RJ0891), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को दिनांक 20.05.2020 से 20.06.2020 तक 32 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 21.06.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री मनोज तिवारी (RJ0801), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को श्रीमती वैदेही सिंह चौहान के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. श्री मनोज तिवारी (RJ0801), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।


आज्ञा से  
  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/62/2015/ 2316

दिनांक : 15.05.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द को उनके पत्रांक 3007 दिनांक 05.05.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती वैदेही सिंह चौहान (RJ0891), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द ।
5. श्री मनोज तिवारी (RJ0801), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द ।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

  
सहायक रजिस्ट्रार